

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2639

दिनांक 02.08.2016/11 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

भाषाओं को शामिल करना

2639. श्री हरि मांझी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का भाषा एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने हेतु कोई मानदंड/मानक अपनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उपर्युक्त मानदण्डों का सरकार द्वारा पालन किया गया है;
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा किसी भाषा को भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने से पूर्व सरकार द्वारा बोली एवं नई भाषा में किस प्रकार अंतर किया जाता है; और
- (ङ) आठवीं अनुसूची में समावेशन के पश्चात् किसी भाषा को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) : संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं:-

- (1) असमिया, (2) बंगला, (3) बोड़ो, (4) डोगरी, (5) गुजराती, (6) हिंदी, (7) कन्नड़, (8) कश्मीरी, (9) कोंकणी, (10) मैथिली, (11) मलयालम, (12) मणिपुरी, (13) मराठी, (14) नेपाली, (15) उड़िया, (16) पंजाबी, (17) संस्कृत, (18) संथाली, (19) सिंधी, (20) तमिल, (21) तेलुगू और (22) उर्दू।

.....2/-

इनमें से कई भाषाएं विभिन्न राज्यों में बोली जाती हैं और उनका प्रयोग राज्य-विशेष की सीमाओं तक सीमित नहीं है।

(ख) से (घ) : चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास, सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक घटनाक्रमों से प्रभावित होकर सतत् प्रकृति का होता है, इसलिए भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के लिए कोई मानदंड निर्धारित करना कठिन है। इस प्रकार का मानदंड तैयार करने के लिए पाहवा (1996) और सीताकांत महापात्रा (2003) समितियों के माध्यम से किए दो प्रयास निष्फल रहे हैं।

“भाषा”, एक सामाजिक-सांस्कृतिक-भौगोलिक रचना इस मायने में है कि सभी भाषाएं बोलियों/रूपों/मातृ-भाषाओं के तौर पर आरंभ होती हैं लेकिन विभिन्न सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक कारणों से किसी भाषा का कोई एक रूप, मानक रूप के तौर पर विकसित होता है या उसका दर्जा हासिल कर लेता है। अतः “भाषा” को मानक रूप के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है ताकि संबंधित रूपों को बोलने वाले मानक रूप को बोलने वाले समझे जाएं। उदाहरण के तौर पर, अवधी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली विभिन्न रूप हैं जो सम्मिलित रूप से आज हिंदी के तौर पर जानी जाती है और इसलिए हिंदी, इन रूपों के लिए मानक भाषा समझी जाएगी।

किसी भी भाषा और बोली में विभेद करने के लिए कोई भाषाई मानदंड नहीं है। सामाजिक तौर पर, एक बोली धीरे-धीरे एक भाषा के रूप में विकसित हो सकती है तथा भाषा का दर्जा हासिल कर सकती है।

(ड.) : आठवीं अनुसूची में शामिल होने पर, भाषा के संबंध में निम्नलिखित लाभ संभावित हैं:-

- (i) संघ लोक सेवा आयोग का विचार जानने के बाद अखिल भारतीय और उच्चतर केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं में एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में भाषा को अनुमति दी जाएगी।
- (ii) साहित्य अकादमी अपने विवेकाधिकार से इन भाषाओं के लिए पुरस्कार, विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आरंभ कर सकती है।
